S.T. No. 192/2013

06.09.2019

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। विगत तिथि पर प्रार्थनापत्र 63ब पर सुना जा चुका है।

प्रार्थनापत्र 63ब का निस्तारण

63ब प्रार्थनापत्र विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दां0) द्वारा अंतर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उक्त मुकदमें में वादी विजयपाल व मजरूब अमित कुमार की साक्ष्य न्यायालय में हो चुकी है जिसमें अभियुक्त विवेक को घटना में शामिल होना बताया है। विवेक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी अंकित है। वादी व मजरूब ने धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयानों में विवेचक को विवेक के द्वारा भी घटना कारित करना बताया गया है। विवेचक ने अभियुक्त विवेक पुत्र गीतम को लाभ पहुॅचाने की नीयत से मुकदमें से निकाल दिया है। अभियुक्त विवेक को धारा 319 दं0प्र0सं0 के अंर्तत तलब किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त आधारों पर अभियुक्त विवेक पुत्र गीतम सिंह निवासी कुसवा, थाना अवागढ़ को धारा 319 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत तलब किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली पर अभियोजन पक्ष द्वारा 02 साक्षीगण के बयान अंकित कराये जा चुके हैं। पी.डब्ल्यू.1 के रूप मं विजयपाल को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि ''दिनांक 14.05.2012 का सुबह 07.00 बजे जब मैं अपने घर से लैट्रिन के लिए बाहर निकला तो मुनेश, बृजकिशोर, विवेक, बृजमोहन, श्यामवीर, धर्मेन्द्र, बबलू और श्याम खॉ आदि लोगों ने मुझे सरियों व डण्डों से मारा पीटा। इसके बाद करीब 09.00 बजे मेरे भतीजे अमित का घर से बाहर घेर कर लाठी–डण्डे व सरिया से मारा पीटा। जब घर की महिलायें बचाने आईं तो उनको भी मारा पीटा जिससे सभी को चोटें आयीं।''

इस प्रकार पी.डब्ल्यू.1 ने अपने बयान में दिनांक 14.05.2012 को मार पीट की घटना कारित करने में विवेक का भी नाम लिया है।

पत्रावली पर परीक्षित किये गये पी.डब्ल्यू.2 अमित कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि ''दिनांक 14.05.2012 को समय करीब 09.00 बजे मैं

अपने खेतों से घर वापिस आ रहा था तो रास्ते में मेरे घर के बाहर मुनेश, श्यामवीर, धर्मेन्द्र, बबलू, श्याम खॉ, बृजकिशोर, बृजमोहन और विवेक मिले जिनके हाथों में लाठी–डण्डे व सरिया तथा धर्मेन्द्र के पास बल्लम थी। मैं जैसे ही इन लोगों के पास पहुॅचा तो इन लोगों ने पकड़ लिया, गालियां दीं और मारपीट की जिससे काफी चोटें आईं।''

इस प्रकार पत्रावली पर परीक्षित किये गये दोनों चुटहैल साक्षियों ने विवेक का नाम मारपीट करने वालों में लिया है। न्यायालय के विचार में विवेक के विरुद्ध पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः विवेक को वास्ते विचारण तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 63ब अंतर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त विवेक को धारा 147,324,504 व 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)x एस.सी. एस.टी. ऐक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत मामले में वजरिये सम्मन न्यायालय आहूत किया जाय। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त दिनांक 03.10.2019 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश(एस.सी.एस.टी.ऐक्ट),
एटा
06.09.2019